को प्रेषित की

13/6/25

पक्षकारों के बयान हुए। पक्षकारगण अदालत में कोई लंबित नहीं पर प्रेषक की अधिवक्ता द्वारा वाद पत्र को फेरबदल की अनुमति चाहते हुए वाद पत्र को नोट शीट में कारण हेतु अपनी अर्जी प्रस्तुत की गयी।

हमने वादी वकील को सुना गया। वादी वाद पत्र में फेरबदल की अनुमति चाहते हैं जो फेरबदल की अनुमति देते हुए वाद वादी नोट शीट में कारण लिखा जाता है। पक्षकारों को नया नोटिस जारी करवाया जाए।

सदस्य
स्थायी लोक अदालत

Fresh suit